प्रेस नोट **दिनांक 18.02.2026**

अंजान व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से फ्राड की गयी 65000/- रु0 कुल धनराशि (पैसठ हजार) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–*

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से फ्राड की गयी 65000/- रु0 कुल धनराशि (पैसठ हजार रुपये), पीड़ित दिग्विजय चौहान पुत्र नरसिंग निवासी गंगुआवारी थाना घोसी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 65000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह (नोडल अधिकारी) थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 दिनेश यादव (सहायक नोडल अधिकारी) थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. हेड ऑपरेटर अरविंद यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. महिला आरक्षी काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. महिला आरक्षी पुष्पलता पांडे थाना घोसी जनपद मऊ ।

25000-25000 रुपये के 02 इनामियां वांछित गैगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ , इलामारन जी , के निर्देशानुसार जनपद में वांछित एवम् पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर कृश राजपूत के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर के द्वारा पुलिस टीम के साथ प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर संभावित स्थानों पर सतर्क निगरानी एवं प्रभावी दबिश की कार्यवाही की गयी , जिस क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 38/26 धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से संबंधित दो वांछित एवं 25,000-25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मुकदमा अपराध संख्या 38/26 धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्तगण (1) कन्हैया राम पुत्र खरभान राम निवासी मलिकनाथपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 38 वर्ष तथा (2) गांधी चौहान पुत्र देवनाथ चौहान निवासी महुआरी थाना

कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 27 वर्ष, पूर्व से वांछित चल रहे थे तथा प्रत्येक पर ₹25,000 का पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उनके संभावित ठिकानों, आवागमन मार्गों एवं संपर्क सूत्रों की जानकारी संकलित कर स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया गया था इसी क्रम में आज दिनांक 18.02.2026 को मुखबिर द्वारा प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा न्यायालय परिसर गेट के निकट सुनियोजित घेरेबंदी की गयी। पुलिस बल को दो भागों में विभाजित कर समन्वित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को समय करीब 16:10 बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान कोई अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्तगण को नियमानुसार हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान**

दिनांक – 18.02.2026
समय – 16.10 बजे
स्थान – न्यायालय गेट के पास से

- **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण व आपराधिक इतिहास** –

नाम अभियुक्त	आपराधिक इतिहास
(1) कन्हैया राम पुत्र खरभान राम निवासी मलिकनाथपुर थाना मरदह जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 38 वर्ष	मु.अ.सं. 290/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मु.अ.सं. 379/25 धारा 303(2) , 317(2), 111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मु.अ.सं. 380/25 धारा 303(2) , 317(2), 111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मु.अ.सं. 384/25 धारा 318(4),317(2),317(4),317(5),111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर मऊ मु.अ.सं. 38/26 धारा 2/3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
(2) गांधी चौहान पुत्र देवनाथ चौहान निवासी महुआरी थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 27 वर्ष	मु.अ.सं. 379/25 धारा 303(2) , 317(2), 111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मु.अ.सं. 380/25 धारा 303(2) , 317(2), 111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ मु.अ.सं. 384/25 धारा 318(4),317(2),317(4),317(5),111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर मऊ मु.अ.सं. 38/26 धारा 2/3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

- **गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण** –

1. निरीक्षक अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. निरीक्षक फूलचंद्र यादव , निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उपनिरीक्षक सरफराज खान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उपनिरीक्षक सीताराम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. मुख्य आरक्षी रितेश राय थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. मुख्य आरक्षी अशोक यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. मुख्य आरक्षी विनोद सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. आरक्षी रविकिरण सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. आरक्षी अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
10. आरक्षी विजय यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
11. महिला आरक्षी प्रीति थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ